232

- 1 -

A-668- I-17

समक्ष मानूनीय न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्र. ..../.............../............................

विषय :- आदिम जनजाति सदस्य को भूमि विक्रय करने की अनुमति प्रदान करने बावत्।

पक्षकार – श्री प्यारेलाल गौंड उम्र लगभग 52 साल पिता श्री धन सिंह गौंड जाति गौड़ (आदिवासी) निवासी-79, वार्ड नं. 15, ग्राम संकुही, खुख्कम, तहसील कुण्डम जिला जबलपुर

विरूद्ध

अनावेदक – 1. धीरज दरियानी
पिता श्री सत्यपाल दरियानी (गैर आदिवासी)
पता-म.नं. 46, ए.पी. आर कॉलोनी, कटंगा, तह. व जिला जबलपुर

NOTARY
MOHAMMED ASHFAQUE
JABALPUR DIST M.P
Regd. No. 7829
GOVT. OF INDIA

2. म.प्र.शासन द्वारा कलेक्टर, जबलपुर

<u>अपील याचिका अंतर्गत धारा35(M)म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत्</u>

25 JAN 2017

1. मानूनीय न्यायालय कलेक्टर जबलपुर के प्रकरण क्र. **368/अ-21/2013-14** में पारित **आदेश दि. 24/10/2016** (Annexure-1) से व्यथित होकर **म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के तहत्** यह अपील याचिका प्रस्तुत की जा रही है।

2. यह कि आवेदक/अपीलकर्ता आदिवासी श्री प्यारेलाल गौंड उम्र लगभग 52 साल पिता श्री धन सिंह गौंड जाति गौड़ (आदिवासी) निवासी-79, वार्ड नं. 15, ग्राम संकुही, खुख्कम, तहसील कुण्डम जिला जबलपुर द्वारा ग्राम **डुंगरिया** प.ह.नं. 48/65 रा.नि.मं. बरगी

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - अपील 668-एक/17 जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15-2-17	प्रकरण का अवलोकन किया । यह अपील कलेक्टर, जिला जबलपुर के द्वारा प्रकरण क्रमांक 368/अ-21/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 24-10-16 से व्यथित होकर म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 35 (4) के तहत प्रस्तुत की गई है । 2- अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । यह प्रकरण भूमि विक्रय की अनुमति से संबंधित है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दिनांक 24-10-16 को अपीलार्थी की अनुपस्थिति के कारण अदम पैरवी में निरस्त किया गया है । अपीलार्थी द्वारा बताए गए आधारों को देखते हुए न्यायहित में यह पाया जाता है कि प्रकरण का निराकरण तकनीकि आधार पर न करते हुए गुणदोष पर किया जाये । अतः इस प्रकरण का निराकरण गुणदोष पर किया जा रहा है । 3- प्रकरण के गुणदोषों के संबंध में आवेदक की ओर से प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया, जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत भूमि विक्रय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है, जिसमें अपीलार्थी द्वारा ग्राम डुंगरिया प.ह.नं. 48/65 रा.नि.मं. बरगी तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 960 रकबा 1.580 हैक्टर को प्रत्यर्थी क्रमांक-1/गैर आदिम जनजाति के सदस्य	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि हस्ताक्षर
	को विक्रय किए जाने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है । अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों खसरा इत्यादि के अवलोकन से स्पष्ट है कि विक्रय हेतु आवेदित प्रश्नाधीन भूमियां अपीलार्थी की स्वअर्जित भूमियां है जो उसके द्वारा पंजीकृत विक्रयपत्र से क्रय की गई हैं । उक्त भूमियां शासन से प्राप्त भूमियां नहीं है । प्रस्तुत दस्तावेजों से यह भी स्पष्ट है कि अपीलार्थी के पास विक्रय हेतु आवेदित प्रश्नाधीन भूमियों के अतिरिक्त विभिन्न ग्रामों में 5.110 हैक्टर भूमि शेष बच रही है जो अपीलार्थी एवं उसके परिवार के सदस्यों के जीवन यापन के लिए पर्याप्त है । अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा यह भी कहा गया है कि क्रेता उसे वर्तमान गाइड लाइन से अधिक मूल्य देने को तैयार हैं । अंतरण में आवेदक के साथ कोई छल कपट नहीं हो रहा है और ना ही आवेदित भूमि के विक्रय से आवेदक के आर्थिक हितों पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ेगा । चूंकि अपीलार्थी आदिम जनजाति का सदस्य है, इस कारण उसके द्वारा भूमि विक्रय की अनुमति मांगी गई है । अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात यह पाया जाता है कि अपीलार्थी को उसके भूमिस्वामी स्वत्व की प्रश्नाधीन भूमियों को विक्रय करने की अनुमति दिए जाने में किसी प्रकार की वैधानिक अड़चन प्रतीत नहीं होती है । उपरोक्त विवेचना के आधार पर जिलाध्यक्ष, जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24-10-16 निरस्त किया जाता है तथा यह अपील स्वीकार करते हुए अपीलार्थी को उसके भूमि-स्वामित्व की ग्राम डुंगरिया प.ह.नं. 48/65 रा.नि.मं. बरगी तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 960 रकबा 1.580 हैक्टर को प्रत्यर्थी क्रमांक-1/गैर आदिम जनजाति के	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - अपील -668-एक/17 जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	सदस्य को विक्रय करने की अनुमति निम्न शर्तो के साथ प्रदान की जाती है :- 1- यदि प्रस्तावित क्रेता वर्तमान वर्ष की गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो । 2- क्रेता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) आवेदक के खाते में जमा की जायेगी । पक्षकार सूचित हों । (एम0के0 सिंह) सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर	